अपलोड/ईमेल

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(30)खा.वि./आवंटन/2024–02563   जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षर दिनांक

समस्त,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत E-KYC से वंचित लाभार्थियों के नाम पुनः चालू कर E-KYC करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कतिपय जिला रसद अधिकारियों द्वारा विभिन्न कारणों से E-KYC नहीं होने के कारण निरस्त हुए लाभार्थियों के नाम पुनः जुडवाने हेतु विभाग को प्रस्ताव भिजवाये जा रहे है।

उक्त क्रम में लेख है कि विभिन्न कारणों से E-KYC नहीं होने के कारण डिलीट हुए लाभार्थियों के नाम पुनः जुडवाने हेतु उन्हें पुनः अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन करने हेतु सूचित करें तथा ऐसे लाभार्थी जिनकी शारीरिक असमर्थता (बायोमैट्रिक असक्षम)/आइरिस स्केन के अभाव में E-KYC नहीं हो पा रही है एवं वे शिथिलन के पात्र हैं तो समुचित परीक्षण कर उन्हें E-KYC से Exempted करवाने हेतु प्रस्ताव विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(ब्रहम लाल जाट)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

प्रतिलिपिः–
1– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग, राज.जयपुर।
2– निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3– एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को प्रेषित विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने एवं संबंधित को ई–मेल कराने हेतु प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brahm Lal Jat
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.06.12 16:13:22 IST
Reason: Approved